रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 627] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 1984/पौष 6, 1906

No. 627] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 1984/PAUSA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1984

आदेश

का. आ. 962 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 18 (अ)/18कक/आई० डी० आर. ए./79-तारीख 6 जनवरी, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) आंध्र प्रदेश राज्य के श्री काकुलम जिले के सीतानगरम में चीनी का विनिर्माण करने वाले मैसर्स श्री राम शुगर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के एकक का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 5 जनवरी, 1982 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के क्रमश: आदेश सं. का. आ. 7 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 5 जनवरी, 1982, का. आ. 551 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 2 अगस्त, 1982 का० आ० 80(अ) /18कक/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 2 फरवरी, 1983, का. आ. 549(अ) 18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 2 अगस्त, 1983, का. आ. 67 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 2 फरवरी, 1984 और का. आ. 558 (अ)/18 कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 2 अगस्त, 1984 द्वारा उक्त आदेश को 31 दिसम्बर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए जारी रखा गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम 30 जून, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के प्रबंध के अधीन बना रहे ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 4 (11)/78-सी. यू. एस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 27th December, 1984

ORDER

S.O. 962(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)

No. S.O. 18(E)|18AA|IDRA79, dated the 6th January, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Seethanagaram in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 5th January, 1982, and the Nizam Sugar Factory Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 7(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th January, 1982, S.O. 551(E)18AA|IDRA|82, dated the 2nd August, 1982, S. O. 80(E)|18AA|IDRA|83, dated the 2nd February, 1983, S.O. 549(E)|18AA|IDRA|83, dated the 2nd August, 1983, S.O. 67)E)|18AA|IDRA 84, dated the 2nd February, 1984 and S.O. 558(E)|18AA|IDRA.84 dated the 2nd August, 1984 respectively, the said Order was continued for a period upto and inclusive of the 31st December, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial nudertaking should continue under the management of the Nizam Sugar Factory Limited for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1985.

[File No. 4(11)|78-CUS]

आदेश

का. आ. 963 (अ)/18खख/आई. डी. आर. ए./84—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 902 (अ)/18खख/आई. डी. आर. ए./80 तारीख 21 नवम्बर, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) उद्योग नियम (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 19 खख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो 6 जनवरी, 1979 के पश्चात् किए गए हैं /हुए हैं या प्रवृत्त हुए हैं) जिनका आन्ध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के सीता नगरम् में चीनी का विनिर्माण करने वाले मसर्स श्री राम शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकक या उक्त एकक का स्वामित्व रखने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जो उक्त एकक या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे।

और उक्त आदेश की अवधि को भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 820 (अ) 18 खख/आई. डी. आर. ए./81, तारीख 20 नवम्बर, 1981, का आ० 8 (अ)/18खख/आई. डी. आर. ए/82, तारीख 5 जनवरी, 1982, का० आ० 552 (अ)/18खख/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 2 अगस्त, 1982, का. आ. 81 (अ)/18खख/आई डी. आर ए./83, तारीख 2 फरवरी, 1983, का. आ. 550(अ)/18 खख/आई. डी. आर. ए/83, तारीख 2 अगस्त, 1983, का. आ. 68 (अ)/18 खख/आई. डी. आर. ए/84. तारीख 2 फरवरी, 1984 और का. आ. 559 (अ)/18खख/आई. डी आर. ए/84, तारीख 2 अगस्त, 1984 द्वारा 31 दिसम्बर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए बढ़ाया गया था,

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को ऐसे सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) 30 जून, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को ऐसे सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) 30 जून, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 4(11)/78-सी. यू०. एस०]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 963(E)|18FB|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 902(E)|18FB|IDRA|80, dated the 21st November, 1980 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those which have been entered into, arrived at or come into force after the 6th January, 1979) to which the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited, manufacturing sugar at Seethanagaram in the District of Srikakulam in the State of Andhra Pradesh or the company owing the said unit is a party or which may be applicable to the said unit or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the date of issue of the said Order shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of 31st December, 1984, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 820(E)|18FB|IDRA|81, dated the 20th November, 1981,

S.O. 8(E)|18FB|IDRA|82, dated the 5th January, 1982, S.O. 552(E)|18FB|IDRA|82, dated the 2nd August, 1982, S.O. 81(E)|18FB|IDRA|83, dated the 2nd February, 1983, S.O. 550(E)|18FB|IDRA|83, dated the 2nd August, 1983, S.O. 68(E)|18FB|IDRA|84, dated the 2nd February, 1984, and S.O. 559(E)|18FB|IDRA|84, dated the 2nd August, 1984;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1985, in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1985, in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions).

[File No. 4(11)|78-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985